

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-195/2026-

/स्वा० पटना, दिनांक / /2026

डा० संजीव कुमार, सीनियर रेजिडेंट, निश्चेतना विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के दिनांक-23.11.2022 से 29.12.2025 तक की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-23.11.2022 से 22.11.2025 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्रांक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)
(ii)	दिनांक-23.11.2025 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(iii)	दिनांक-24.11.2025 से 26.12.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
(iv)	दिनांक-27.12.2025 को	- राजपत्रित अवकाश के रूप में।
(v)	दिनांक-28.12.2025 को	- रविवारीय अवकाश के रूप में।
(vi)	दिनांक-29.12.2025 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-195/2026-

2294(2)

स्वा०, पटना, दिनांक 22/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/विभागाध्यक्ष, निश्चेतना विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० संजीव कुमार, सीनियर रेजिडेंट, निश्चेतना विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wmank 21/9/26
सरकार के उप सचिव।
I